

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 10 / 2025 FSSA

1. सरकार जरिये श्री महेश कुमार सैनी खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण दौसा

— आवेदक—

बनाम

1. श्री नरेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री मोहन लाल गुप्ता
मैसर्स:—अग्रवाल मिष्ठान भण्डार एण्ड किराना स्टोर, हिसार वाली धर्मशाला, बालाजी गेस्ट हाउस के पास, मेहन्दीपुर बालाजी, उदयपुरा सिकराय जिला दौसा।

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011



उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।

: अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं उपस्थित।

—: आदेश :—

दिनांक:— 30.04.2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री महेश कुमार सैनी ने दिनांक 09.10.2024 को दोपहर 01:30 बजे मैसर्स :- अग्रवाल मिष्ठान भण्डार एण्ड किराना स्टोर, हिसार वाली धर्मशाला, बालाजी गेस्ट हाउस के पास, मेहन्दीपुर बालाजी, उदयपुरा सिकराय जिला दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री नरेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री मोहन लाल गुप्ता उपस्थित मिला। विक्रेता ने स्वयं को उक्त मैसर्स अग्रवाल मिष्ठान भण्डार एण्ड किराना स्टोर का मालिक होना बताया। विक्रेता को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ पंजीकरण दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ पंजीकरण होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय मैसर्स अग्रवाल मिष्ठान भण्डार एण्ड किराना स्टोर पर एक साफ सुथरी रैक में लगभग 1 किलोग्राम X 20 पैक खाद्य पदार्थ रिफाईण्ड फ्री फ्ला आयोडाईज्ड नमक गोयल ब्राण्ड (Refind Free Flow Iodised Salt Goyal Brand) विक्रय हेतु रखा हुआ था। इसमें मिलावट का शक होने पर इसमें से नमूने की जांच हेतु 1 किलोग्राम X 4 पैक खाद्य पदार्थ रिफाईण्ड फ्री फ्ला आयोडाईज्ड नमक गोयल ब्राण्ड (Refind Free Flow Iodised Salt Goyal Brand) खरीदा। जिसकी कीमत 40 रुपये नकद देकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता से बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा 1 किलोग्राम X 4 पैक खाद्य पदार्थ रिफाईण्ड फ्री फलो आयोडाईज्ड नमक गोयल ब्राण्ड (Refind Free Flow Iodised Salt Goyal Brand) को चार बराबर भागों में बांटकर प्रत्येक भाग 1 किलोग्राम X 1 पैक खाद्य पदार्थ रिफाईण्ड फ्री फलो आयोडाईज्ड नमक गोयल ब्राण्ड (Refind Free Flow Iodised Salt Goyal Brand) लेकर लेबल तैयार कर चिपकाये। लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कोड एवं क्रमांक एजी-4481 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागो को अलग-अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नम्बर एजी-4481 नियमानुसार चारो नमूना भागों पर  से उपर गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर  नियमानुसार करवाकर चारो नमूना भागों पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील बन्द नमूनों को



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

अपने जाब्ले में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं. 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बन्द पैकेट एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं. 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बन्द पैकेट व फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्र.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 10.10.2024 को खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज. जयपुर के यहां जमा करवाये। नमूने के दो सील बन्द पैकेट व फार्म संख्या 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं द्वारा दिनांक 10.10.2024 को डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा को जमा करवाये तथा नमूने का चतुर्थ सील बन्द पैकेट व फार्म संख्या 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 10.10.2024 को डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा को जमा करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त खाद्य पदार्थ खाद्य पदार्थ रिफाईण्ड फ्री फ्लो आयोडाईज्ड नमक गोयल ब्राण्ड (Refind Free Flow Iodised Salt Goyal Brand) के नमूने की खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज. जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस. /3987/एक्ट/2024/3876 दिनांक 17.10.2024 को प्राप्त हुई। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ रिफाईण्ड फ्री फ्लो आयोडाईज्ड नमक गोयल ब्राण्ड (Refind Free Flow Iodised Salt Goyal Brand) का अमानक(SUBSTANDARD) स्तर का पाया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर न्याय निर्णय आवेदन पत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। अप्रार्थी अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री इनायत हुसैन उपस्थित आये। जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज. जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./3987/एक्ट/2024/3876 दिनांक 17.10.2024 के अनुसार अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा विक्रय किया गया उक्त खाद्य पदार्थ रिफाईण्ड फ्री फ्लो आयोडाईज्ड नमक गोयल ब्राण्ड (Refind Free Flow Iodised Salt Goyal Brand) के नमूने में निम्न कमियां पाई गई है।

Sodium Chloride(NaCl) by weight on dry basis 91.81 प्रतिशत ही पाया गया है जो कि कम से कम 97.00 प्रतिशत होना चाहिये था।

Matter Soluble in water other than sodium chloride by weight on dry basis 6.86 प्रतिशत पाया गया है जो कि तय मानक 3.0 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिये।

Iodine content 0.0 parts per million पाया गया है जो कि 15-30 parts per million होना चाहिये था।

इस प्रकार से अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अमानक(SUBSTANDARD) स्तर के खाद्य पदार्थ रिफाईण्ड फ्री फ्लो आयोडाईज्ड नमक गोयल ब्राण्ड (Refind Free Flow Iodised Salt Goyal Brand) का विक्रय कर एफएसएसए की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 51 में वर्णित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया



सत्यमेव जयते

अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि प्रार्थी अभियुक्त अन्तर्गत धारा एफएसए एक्ट 2006 सपठित नियम 2011 में जुर्म स्वीकार कर प्रकरण का निस्तारण करवाना चाहता है। प्रार्थी द्वारा कभी भी कोई सामग्री मिलावट की ना तो बनायी गयी है ना ही बनाकर बेची गई है। अतः प्रकरण में कम से कम जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का श्रम करे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस. / 3987 / एक्ट / 2024 / 3876 दिनांक 17.10.2024 के अनुसार अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ रिफाईण्ड फ्री फ्लो आयोडाईज्ड नमक गोयल ब्राण्ड (Refind Free Flow Iodised Salt Goyal Brand) का नमूना अमानक(SUBSTANDARD) स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अमानक(SUBSTANDARD) स्तर के खाद्य पदार्थ रिफाईण्ड फ्री फ्लो आयोडाईज्ड नमक गोयल ब्राण्ड (Refind Free Flow Iodised Salt Goyal Brand) का विक्रय कर एफ.एस.एस.ए. की धारा 26 की उप धारा (2) (II) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए की धारा 51 में वर्णित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अमानक(SUBSTANDARD) स्तर के खाद्य पदार्थ रिफाईण्ड फ्री फ्लो आयोडाईज्ड नमक गोयल ब्राण्ड (Refind Free Flow Iodised Salt Goyal Brand) का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त श्री नरेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री मोहन लाल गुप्ता मैसर्स:-अग्रवाल मिष्ठान भण्डार एण्ड किराना स्टोर, हिसार वाली धर्मशाला, बालाजी गेस्ट हाउस के पास, मेहन्दीपुर बालाजी, उदयपुरा सिकराय जिला दौसा पर 10000 /-(अक्षरे दस हजार रुपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 30.04.2025 के एक माह के अन्दर-अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निर्धारित (Chief Medical & Health Officer Dausa)के मद 0210-04-800-03-00 में जमा कराकर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 30.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया

गया।

(रामस्वरूप चौहान)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा

दिनांक:- .2025

कमांक / FSSA / 2025 /

सत्यमेव जयते प्रतिनिधि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री नरेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री मोहन लाल गुप्ता मैसर्स:-अग्रवाल मिष्ठान भण्डार एण्ड किराना स्टोर, हिसार वाली धर्मशाला, बालाजी गेस्ट हाउस के पास, मेहन्दीपुर बालाजी, उदयपुरा सिकराय जिला दौसा

(रामस्वरूप चौहान)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा

